बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

आदेश

श्री वीरेन्द्र कुमार बर्खास्त सहायक निबंधक पूर्व जिला सहकारिता पदाधिकारी, औरंगाबाद को दिनांक 24.07.1992 को 5,000/-रू. घुस लेते रंगे हाथ पकड़े जाने एवं विशेष न्यायाधीश निगरानी के आदेश दिनांक 20.12.1999 में दोषी मानते हुए तीन वर्षो का कारावास एवं 10,000/-रू. का आर्थिक दण्ड दिये जाने के आलोक में श्री कुमार को विभागीय अधिसूचना संख्या 3861 दिनांक 16.09.2008 के द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

2. श्री कुमार द्वारा विशेष न्यायाधीश निगरानी के आदेश को माननीय उच्च न्यायालय में फौजदारी अपील संख्या 11/2000 दायर कर चुनौती दी गई। माननीय उच्च न्यायालय ने निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए श्री कुमार को दण्डादेश से मुक्त कर दिया। तदोपरांत निगरानी विभाग द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में एस.एल.पी. संख्या 7914/2013 दायर किया गयां जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 14.08.2014 को खारिज कर दिया गया।

3. श्री कुमार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में समादेश याचिका 4883/2013 दायर कर फौजदारी अपील संख्या 11/2000 में पारित किये आदेश के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 3861 दिनांक 16.09.2008 के द्वारा सेवा से बर्खास्त किये दंड को निरस्त करने का अनुरोध किया गया जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 10.11.2014 को आदेश पारित कर श्री वीरेन्द्र कुमार को सेवा में पुनस्थापित करने का आदेश दिया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समादेश याचिका 4883/2013 में दिनांक 10.11.2014 को पारित आदेश के आलोक में श्री वीरेन्द्र कुमार को सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, के पद पर तत्कालीक प्रभाव से पुनस्थापित (Reinstate) किया जाता है।

ह./-
(कामेश्वर प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक.../पटना, दिनांक..................
01/रा.स्था. (7) योगदान 20/12 सह.

प्रतिलिपिः- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह./-
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक../पटना, दिनांक...................

प्रतिलिपिः- सरकार के अवर सचिव वित्त (वै.दा.नि.को.) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह./-
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक.../पटना, दिनांक....................

प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/माननीय मंत्री सहकारिता के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक 64 /पटना, दिनांक 6-1-15

प्रतिलिपि:– श्री वीरेन्द्र कुमार, पूर्व जिला सहकारिता पदाधिकारी, औरंगाबाद/निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/सरकार के सभी सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सभी प्रमण्डलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ/सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी/सभी प्रबंध निदेशक केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०/सभी सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ/विशेष पदाधिकारी, बिहार लोक सेवा आयोग/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

06.1.15

6.1.2015
सरकार के उप सचिव।